

सैरातों की अल्पकालीन बन्दोबस्ती हेतु आम सूचना
अवर प्रमण्डल पदाधिकारी का कार्यालय
सोन नहर अवर प्रमण्डल, सिकरौल।

सिकरौल लॉक नं0-08 के समीप दौये तरफ लगने वाले सब्जी बाजार एवं टेम्पू स्टैण्ड के बन्दोबस्ती हेतु अल्पकालीन आम सूचना वर्ष 2026-2027

पत्रांक/

सिकरौल, दिनांक/

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सोन नहर अवर प्रमण्डल, सिकरौल के लॉक नं0-08 के समीप दौये तरफ लगने वाले सब्जी बाजार जो सप्ताह में मंगलवार, वृहस्पतिवार, शनिवार तीन दिन लगता है। जिसकी निलामी अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, सोन नहर अवर प्रमण्डल, सिकरौल के कार्यालय में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक-31.07.2026 को 12:30 बजे अपराह्न में होगा डाक निलामी हेतु प्रथम निलामी तिथि को डाक नहीं होने के स्थिति में अगली क्रमशः तिथि को डाक किया जाएगा। आपके द्वारा अगर निर्धारित तिथि एवं निर्धारित समय पर बन्दोबस्ती/डॉक बोलने के लिए उपस्थित नहीं होते हैं तो इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी। इस संबंध में आपका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

क्रमांक	निलामी का नाम	प्रास्तावित डॉक की तिथि	जमानत /अग्रधन की राशि (रु० में)	डॉक बोलने की न्यूनतम राशि (रु० में)	अभियुक्ति
01	लॉक नं0-08 पर लगने वाले सब्जी बाजार की निलामी	31.07.2026 03.08.2026 06.08.2026	21500.00	216100.00	बन्दोबस्ती वाली भूमि का विवरण ठोरा नदी से पहले खेसरा सं0-405 रकबा-11000 फिट (25 डिसमील)
	लॉक नं0-08 पर सिकरौल से गुणसेज के लिए खुलने वाले टेम्पू स्टैण्ड की निलामी	31.07.2026 03.08.2026 06.08.2026	4000.00	400.00	बन्दोबस्ती वाली भूमि का विवरण ठोरा नदी से पहले खेसरा सं0-405 रकबा-30 X10 फिट

निलामी की शर्तें

1. डाकमें भाग लेने वाले ईच्छुक व्यक्ति जमानत की राशि जमा करने के बाद ही डाक में भाग लेंगे। डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति को प्रत्येक बोली की रकम जमा करनी होगी। सफल डाकवक्ता को डाक की प्रक्रिया समाप्ति के तुरन्त बाद डाक की पूरी राशि एक मुश्त में जमा करना होगा।
2. समुचित डॉक बोली नहीं होने पर निलामी अथवा तिथि को रद्द करने का या बदलने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
3. अधिकतम डॉक बोलने वाले व्यक्ति को बोली समाप्त होने पर डॉक की पूरी रकम एक मुश्त जामा कर कच्चा रसीद ले लेना होगा।
4. डॉक की पुरी रकम जामा नहीं करने पर द्वितीय डॉक बोलने वाले के साथ सब्जी बाजार बन्दोबस्त कर दी जायेगी एवं उनकी जमानत की राशि जब्त कर ली जाएगी।
5. बन्दोबस्त की गई निर्धारित भूमि पर ही बाजार लगाना होगा।
6. बाजार के कारण यातायात बाधित नहीं होना चाहिए।
7. उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं होने पर बन्दोबस्ती रद्द कर दी जाएगी।
8. सब्जी बाजार एवं टेम्पू स्टैण्ड की निलामी वर्ष 2026-2027 तक के लिए ही की जायेगी। यह बन्दोबस्ती 31.03.2027 तक ही मान्य होगा।

ह/—

अवर प्रमण्डल पदाधिकारी
सोन नहर अवर प्रमण्डल, सिकरौल

पत्रांक 191...../

सिकरौल, दिनांक 20.07.2026/

प्रतिलिपि:-सूचना एवं जन सर्मक पदाधिकारी जल संसाधन विभाग, पटना को बन्दोबस्ती आम सूचना की 01 प्रति एवं सी0 डी0 सहित हिन्दी के दैनिक समचार पत्रों में लगातार दो दिनों तक प्रकाशनार्थ संप्रेषित।

Umer
20.07.26

अवर प्रमण्डल पदाधिकारी
सोन नहर अवर प्रमण्डल, सिकरौल